कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

email:- bsp.jd19@gmail.com फोन नं. –07752–493695

क्रमांक /शिकायत/न.क.391/2026 /525 बिलासपुर दिनांक 28/04/26

//आदेश//

विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली ने श्री पीताम्बर दास मानिकपुरी शिक्षक एल.बी. शास.पू.मा.शाला झझपुरी वि.खं. मुंगेली के द्वारा फेसबुक अकाउंट में श्री सोमनाथ यादव, राज्य मुख्य आयुक्त भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छ.ग. के विरूद्ध घृणित शब्दों का प्रयोग कर अपमान किये जाने की शिकायत की पुष्टि कर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया हैं।

2/श्री पीताम्बर दास मानिकपुरी का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम–3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता हैं।

3/ एतदद्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली से प्राप्त प्रस्ताव एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम–9 (1) (क) के तहत श्री पीताम्बर दास मानिकपुरी, शिक्षक एल.बी. शास.पू.मा.शाला झझपुरी वि.खं. व जिला मुंगेली को निलंबित किया जाता है तथा इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली जिला –मुंगेली नियत किया जाता हैं।

4/ निलंबन अवधि में श्री पीताम्बर दास मानिकपुरी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

civilindia.in

28.4.26
संयुक्त संचालक
@शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक /शिकायत/न.क. 391/2026 /526 बिलासपुर दिनांक 28/04/26

प्रतिलिपि:–

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय,इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली को सूचनार्थ।
3. विकास खंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली जिला मुंगेली को सूचनार्थ भेजकर लेख हैं कि संबंधित को आदेश तामिली कराकर पावती इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
4. प्रधान पाठक शास.पू.मा.वि.झझपुरी वि.खं. व जिला मुंगेली को सूचनार्थ ।
5. संबंधित श्री पीताम्बर दास मानिकपुरी शास.पूमावि. झझपुरी वि.खं. व जिला–मुंगेली को सूचनार्थ।
6. कार्यालयीन खंड प्रभारी स्था.03 को गार्ड फाईल हेतु।

28.4.26
संयुक्त संचालक
@शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ़